

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / मा-द / गुणवत्ता / स्माइल-3.0 / 61172 / 2021-22

दिनांक: 07.09.2021

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

विषय:— सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों के प्रथम परख के संबंध में दिशानिर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण सत्र 2021-22 में नियमित कक्षा-शिक्षण के अभाव में विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतरता हेतु “आओ घर में सीखे-2.0” कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विषयों के वीडियो लिंक तथा वर्कशीट के माध्यम से अध्यापन करवाया जा रहा है। विद्यार्थी इस प्रक्रिया से कितना सीख पाए हैं, इसकी जाँच के उददेश्य से सितम्बर माह में प्रथम मूल्यांकन किया जाना है।

❖ सरकारी विद्यालयों हेतु परख संबंधी प्रमुख निर्देश —

- परख तिथि**— सत्र 2021-22 प्रथम परख 09 सितम्बर 2021 को आयोजित किया जाएगा। इस हेतु 09 सितम्बर को मूल्यांकन बिट-ले लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
- मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण**— दिनांक 21.06.2021 से आरंभ हुए “आओ घर में सीखे-2.0” कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब तक जितना ई-कंटेट प्रति विषय भेजा गया है उसी के आधार पर मूल्यांकन कार्य किया जाना है। जिन विषयों के लिए किसी भी ई-कंटेट का वितरण नहीं हुआ है उन विषयों के लिए मूल्यांकन अभी नहीं किया जाएगा। इसके लिए आगामी तिथि के निर्धारण की सूचना पृथक् से दी जाएगी।
- मूल्यांकन प्रपत्र पैटर्न**— 09 सितम्बर 2021 को आयोज्य परीक्षा कक्षा 1 से 10 के लिए सभी विषयों का एक सम्मिलित प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा कक्षा 11 व 12 के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी अनिवार्य का प्रश्न पत्र सम्मिलित रूप से तथा वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र पृथक्-पृथक् उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक मूल्यांकन प्रपत्र में—
 - प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न होंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
 - प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय के 20 अंक हैं।
 - सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे।

S.No.	Class Group	Sections	No. of Questions	Marks
1.	Class 1-2	Section A हिन्दी (भाषा विकास)	20	20
		Section B गणित (जौद़िक विकास)	20	20
2.	Class 3-5	Section A हिन्दी	20	20
		Section B अंग्रेजी	20	20
		Section C गणित	20	20
3.	Class 6-10	Section A हिन्दी	20	20
		Section B अंग्रेजी	20	20
		Section C गणित	20	20
		Section D विज्ञान	20	20
		Section E सामाजिक विज्ञान	20	20
		Section F संस्कृत	20	20
4.	Class 11-12 (अनिवार्य विषय)	Section A हिन्दी अनिवार्य	20	20
		Section B अंग्रेजी अनिवार्य	20	20
5.	Class 11-12 (वैकल्पिक विषय)	Section A वैकल्पिक 1	20	20
		Section B वैकल्पिक 2	20	20
		Section C वैकल्पिक 3	20	20

962

4. मूल्यांकन प्रपत्रों के विद्यार्थियों तक वितरण/एकत्रण की सुनिश्चितता का निर्धारण—
संस्थाप्रधान प्रत्येक विद्यार्थी तक मूल्यांकन प्रपत्र की पहुंच को सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु संस्थाप्रधान—

- जो विद्यार्थी डिजिटल पहुंच में हैं उन्हे 09 सितम्बर को वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मूल्यांकन पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा। विद्यार्थी अपने मोबाइल से प्रथम मूल्यांकन पत्र प्राप्त कर अपनी कार्यपुस्तिका के मध्य के पिन पेज पर उसे नोट करके, हल करके अपने कक्षाध्यापक को निर्धारित तिथि पर उपलब्ध करवायेंगे।
- अथवा विद्यार्थी इस मूल्यांकन पत्र की प्रिंटेड प्रति विद्यालय आकर प्राप्त कर सकेगा।
- जिन विद्यार्थियों तक डिजिटल पहुंच नहीं है, उन विद्यार्थियों को शिक्षक होम विजिट के दौरान मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट करके उपलब्ध करवाएंगे।
- कक्षा 9 से 12 के जो विद्यार्थी अध्ययन के लिये विद्यालय आ रहे हैं, वह अपने कक्षाध्यापक से मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त कर प्रथम परख विद्यालय में ही दे सकते हैं।
नोट:- कक्षाध्यापक एक रजिस्टर संधारण कर 10 सितम्बर तक मूल्यांकन प्रपत्र का वितरण प्रत्येक विद्यार्थी तक हो चुका हैं यह सुनिश्चित करेंगे तथा संस्थाप्रधान को रिपोर्ट करेंगे।
- 13 सितम्बर को विद्यार्थी से मूल्यांकन प्रपत्र की हल की गई हार्ड कॉपी का एकत्रण करेंगे। सभी विद्यार्थियों से हल मूल्यांकन पत्र संग्रह का दायित्व कक्षाध्यापक का रहेगा। विद्यार्थी स्वयं विद्यालय आकर अथवा शिक्षक होम विजिट से हल मूल्यांकन पत्र संग्रह करेंगे।
- संस्थाप्रधान प्रत्येक कक्षाध्यापक द्वारा हल मूल्यांकन प्रपत्रों का संग्रह दिनांक 13.09.2021 तक कर लिया गया हैं, यह सुनिश्चित करेंगे।
नोट:- मूल्यांकन प्रपत्र की प्रिंटिंग का कार्य विद्यालय स्तर पर किया जाना है। इस हेतु आवश्यक राशि का व्यय विद्यार्थी कोष /SFG से किया जाना है।

5. मूल्यांकन प्रपत्र की जाँच—

मूल्यांकन हेतु सभी विषयों के प्रश्नपत्रों की उत्तर कुंजी (Answer Key) विद्यालयों को पृथक से उपलब्ध करवायी जायेगी। मूल्यांकन प्रपत्र की जाँच विषयाध्यापक द्वारा 16.09.2021 तक कर कक्षाध्यापक को विद्यार्थियों के प्राप्तांको की लिस्ट उपलब्ध करवाएंगे। कक्षाध्यापक समस्त विषयों के अध्यापकों से विद्यार्थियों के प्राप्तांको को एकत्रित कर शाला दर्पण मॉड्यूल पर 18.09.2021 तक अनिवार्य रूप से इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

❖ गैर सरकारी RBSE विद्यालयों हेतु परख संबंधी प्रमुख निर्देश—

1. **परख तिथि:-**— गैर-सरकारी विद्यालयों में दिनांक 30.09.2021 तक प्रथम परख का आयोजन कर लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. **मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण—** नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यालयों द्वारा की गई शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्थाओं यथा ऑनलाईन शिक्षण अथवा विद्यार्थी को भेजे गये कंटेन्ट से पूर्ण करवाये गये पाठ्यक्रम में से ही प्रथम परख का ऑनलाईन आयोजन किया जाना है।
3. **परख रिकॉर्ड संधारण:-** विद्यार्थियों के प्रथम परख के रिकॉर्ड का संधारण पृथक पंजिका में कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है।

4. प्रथम परख/आकलन का प्रतिशत वेटेजः— गैर बोर्ड कक्षाओं के लिये प्रथम परख में अर्जित अंकों का वेटेज कुल अंकों का 10 प्रतिशत व बोर्ड कक्षाओं के लिये प्रथम परख में अर्जित अंकों का वेटेज कुल अंकों का 20 प्रतिशत रहेगा जिनका समावेश मुख्य परीक्षा में अर्जित अंकों में किया जायेगा।

AB
(सौरभ स्वामी)

आइएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. शासन उप सचिव—प्रथम, शिक्षा (गुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
12. उपनिदेशक शाला दर्पण जयपुर को भेजकर लेख है कि इस क्रम में शाला दर्पण माड्यूल संबंधी आवश्यक कार्यवाही कराएं।
13. समस्त संस्था प्रधान, उमावि/मावि/उप्रावि/प्रावि/.....
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।

AB
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर